

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार राजस्व शुभ २६०१५५२ का नाम गिनवान वरि है। यहाँ दर्तावेज (भाया/काई, जलकाधार काई) मुताबिक गिनवान लिह है। अतः उक्त का नाम गिनवान के बजाय गिनवान लिह का उस्ताकित है।

क्रमांक : राजस्व/2020/

10-11-2020 कोमलपुर, तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है /नहीं की जाती है।

उरुस्त किया जागा उचित है।
 10/11/2020
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुंदेलखंड (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	२६०१५५२	2075-78	302	गिनवान पुग	गिनवान लिह
2	-11-		504	गिनवान पुग	गिनवान लिह
3	-11-		505	किसना	पुग किसना
4	-11-		506	किसना	पुग किसना
5	-11-		523	किसना	पुग किसना

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 10/11/20

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1014-15
 तिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी